

भाग-III

जत्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग निर्माण - 8.00 किमी०

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ। स्थलीय निरीक्षण पूर्व में तत्कालीन वन संरक्षक द्वारा दिनांक 03.03.2014 को किया गया है और प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी है। निरीक्षण आख्या संलग्न है (संलग्नक-1)।
15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	ऑन-लाइन प्रस्ताव में पूर्व में पार्ट-2 में सूचित वृक्षों की संख्या में भिन्नता होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 1897/12-1 दिनांक 20.02.2015 से लगायी गयी आपत्ति के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 2663/12-1 दिनांक 24.02.2015 द्वारा प्रस्तुत संशोधित सूचना एवं स्पष्टीकरण के आलोक में सहमति व्यक्त की जाती है। इस कार्यालय की उक्त सूचित आपत्ति व प्रभागीय वनाधिकारी का उक्त स्पष्टीकरण संलग्न है (संलग्नक-2 व 3)।
16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 0-10 व 10-20 व्यास श्रेणी के सभी वृक्षों का प्रस्ताव विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांक:- 26.02.2015

स्थान:- अल्मोड़ा।

(संतोष दिजय शर्मा)

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में
जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग का
निर्माण।

(19)

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली
मोटर मार्ग लम्बाई 8 कि०मी० के निर्माण हेतु 3.115 है० वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे
द्वारा दिनांक 03/3/2014 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 7 मीटर चौड़ाई में
पातन होने वाले बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

क्र.सं.	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			0.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80 से अधिक	
1	जल्थाकोट नाप	बांज	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3
2	जल्थाकोट सिविल	बांज	—	8	6	1	1	—	—	—	—	16
3	जल्थाकोट वनपंचायत	बांज	—	4	5	—	—	—	—	—	—	9
4	बिन्तोली वनपंचायत (10 कि०मी०)	बांज	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
5	खोलाखेत वनपंचायत	बांज	—	4	10	7	2	2	—	—	—	25
6	सिमतोली (10 कि०मी०) वनपंचायत (10 कि०मी०)	बांज	—	10	4	3	1	—	—	—	—	18
7	किमोली नाप	बांज	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
	कुल योग			29	28	12	4	2	—	—	—	75

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमायूँ वृत्त,
अल्मोड़ा

वन विभाग
बागेश्वर

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

पत्ता: बागेश्वर, जिला बागेश्वर, राज्य उत्तराखण्ड

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

E-Mail : cfkumaon_north@rediffmail.com ☎ (05962) 231099 (05962) 230397 Fax 230397

पत्रांक क 1897 / 12-1 दिनांक, अल्मोड़ा, 20.02.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषय :- जलथाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव।

संदर्भ :- आप द्वारा प्रेषित ऑन लाईन प्रस्ताव।

महोदय,

उक्त मार्ग के ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव के आप द्वारा अंकित किये गये पार्ट-2 में प्रस्तुत सूचनाओं के अवलोकन करने पर निम्न स्थिति संज्ञान में आयी-

1. प्रपत्र के बिन्दु संख्या 4 में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या में सेमल-10, भिमल-4, बकेन-9 बाँज - 8, तून-6, चीड़-69, खड़िक-7, बहेड़ा-1 सादन-9, हरड-2 कुल 125 वृक्ष सूचित किये गये हैं जबकि इस प्रस्ताव से सम्बन्धित इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी हॉर्ड कॉपी के प्रपत्र 15.4 में वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या 220 सूचित की गयी है, जिसका व्यास श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है-

10-20 व्यास श्रेणी	85
20-30 व्यास श्रेणी	71
30-40 व्यास श्रेणी	39
40-50 व्यास श्रेणी	16
50-60 व्यास श्रेणी	8
60-70 व्यास श्रेणी	1

2. इसके अतिरिक्त हार्ड-कॉपी में सूचित इन वृक्ष प्रजातियों में प्रभावित होने वाले बाँज वृक्षों की संख्या 75 अंकित है जो कि मुख्यतः 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70 व्यास श्रेणी के हैं, जबकि प्रपत्र-2 में आप द्वारा मात्र 10-20 व्यास श्रेणी के कुल 8 बाँज वृक्ष सूचित किये गये हैं।

कृपया उक्त बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करें ताकि प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

भूवदीय

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03@gmail.com

दूरभाष नं०- 05963-220249 फैक्स नं०- 05963-220209

पत्रांक
सेवा में,

2663 / 12-1-2

बागेश्वर

दिनांक : 24/2 /2015

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त
उत्तराखण्ड अल्मोडा।

विषय -
सन्दर्भ:-
महोदय,

जलथाकोट-चमडुथल-किमोली मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव।
आपका पत्रांक क 1897/12-1 दिनांक 20.02.2015

उक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम पर अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या 220 ही है। जिसका विवरण निम्नानुसार है निरीक्षण/गणना के अनुसार प्रभावित होने वाले बाँज वृक्षों की संख्या 75 है।

10-20	व्यास श्रेणी	85
20-30	व्यास श्रेणी	71
30-40	व्यास श्रेणी	39
40-50	व्यास श्रेणी	16
50-60	व्यास श्रेणी	8
60-70	व्यास श्रेणी	1

220

अतएव उक्तानुसार संशोधित स्पष्ट सूचनानुसार प्रस्ताव ऑनलाईन सेवा में प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,
(एम0बी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

